रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक संवत्) [संख्या 37

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	495–502	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	957–992	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1383-1419	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

15 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 886/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
1	सूर्या चौहान, अपर सिविल जज (जू0डि0) लखीमपुर खीरी	संख्या-13643/IV-4894/एडमिन(ए-1), दिनांक 04.10.2024	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	एल0एल0एम0	2020
2	पीयूष मूलचन्दानी, सिविल जज (जू0डि0) कासगंज	संख्या-13645/IV-4925/एडमिन(ए-1), दिनांक 04.10.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
3	कृष्ण कुमार-VI, अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बाराबंकी	संख्या-13755/IV-3488/एडमिन(ए-1), दिनांक 05.10.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
4	पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, सिविल जज (जु0डि0) रसडा-बलिया	संख्या-13042/IV-5036/एडमिन(ए-1), दिनांक 26.09.2024	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	एल0एल0एम0	2019

कार्यालय-ज्ञाप

16 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 1006/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम / पदनाम / तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री / उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
1	सोनम शर्मा, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), बाराबंकी सम्प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी	संख्या-15654/IV-4954 / एडमिन(ए-1), दिनांक 22.11.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
2	लखविन्दर सिंह सूद, विशेष न्यायाधीश, (अ0जा0 / अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम), महोबा	संख्या-16312/IV-4676 / एडमिन(ए-1), दिनांक 02.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
3	अनन्त कुमार, अपर सिविल जज (जू0डि0), गाजीपुर	संख्या-16635/IV-4814 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
4	शिल्पी चतुर्वेदी, तत्कालीन सिविल जज (सी0डि0), जौनपुर सम्प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर	संख्या-16633/IV-4113 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
5	प्रीति श्रीवास्तव-III, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (अ0जा0 / अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम) सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एटा	संख्या-16658/IV-3116 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
6	ऋषभ चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर	संख्या-16671/IV-5071 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
7	अरुण कुमार राणा, सिविल जज (जू0डि0), कुलपहाड़-महोबा	संख्या-16666/IV-4997 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
8	हर्षित अग्रवाल, अपर सिविल जज (जू0डि0), रमाबाई नगर	संख्या-16664/IV-5629 / एडमिन(ए-1), दिनांक 09.12.2024	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली	एल0एल0एम0	2023
9	आकांक्षा पाठक, अपर सिविल जज (जू0डि0), गोरखपुर	संख्या-16079/IV-5728 / एडमिन(ए-1), दिनांक 27.11.2024	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ	पी0एच0डी0	2024

2–उक्त तालिका के क्रम संख्या-9 पर अंकित न्यायिक अधिकारी के नाम के पहले डॉ0 लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

29 जनवरी, 2025 ई0

सं0 54/दो-4-2025-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/सुश्री—				
1	ईशा कंसल, सिविल जज (जू0डि0) (एफटीसी) (क्राइम अगेन्स्ट वुमेन), सहारनपुर	संख्या-674/IV-5517/एडमिन(ए-1), दिनांक 15.01.2025	पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब	एल0एल0एम0	2023
2	प्रशान्त वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर	संख्या-620/IV-5242/एडमिन(ए-1), दिनांक 15.01.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
3	शुभम द्विवेदी, तत्कालीन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर सम्प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर	संख्या-736/IV-4828/एडमिन(ए-1), दिनांक 16.01.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
4	मिमोह यादव, तत्कालीन न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जसराना-फिरोजाबाद सम्प्रति सिविल जज (जू0डि0), संतकबीर नगर	संख्या-1202/IV-4832/एडमिन(ए-1), दिनांक 22.01.2025	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	एल0एल0एम0	2019

अनुभाग-1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

29 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I/865275/2025—अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी, 2025 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1— श्री आनन्द कुमार सिंह, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2009), प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।

2— डा0 अनिल कुमार सिंह, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2009), सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

3— श्री देवीशरण उपाध्याय, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2012), (निलम्बित) सम्बद्ध राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

28 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/893514/2025—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के श्री सुखलाल भारती, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2008), सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2025 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होंगे।

विजय कुमार,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

सं0 I/894571/2025—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2015 बैच के श्री श्रीप्रकाश गुप्ता को उनके वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (Junior Administrative Grade) (पे मैट्रिक्स लेवल-12) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2— उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री श्रीप्रकाश गुप्ता द्वारा आगामी 02 अवसरों में मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज-3 का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

अनुभाग-5

सं0 I/894657/2025—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2009 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री राम केवल को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु0 1,44,200—2,18,200 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 मार्च, 2025 ई0

सं0 81 / दो-4-2025—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1582/IV-4718/एडमिन (ए-1), दिनांक 01 फरवरी, 2025 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250 (1) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत नसीमा (Naseema), अपर जनपद न्यायाधीश, अमरोहा का नाम परिवर्तित कर नसीमा खानम (Naseema Khanam) किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10 मार्च, 2025 ई0

सं0 79 / दो-4-2025-02-4099 / 47 / 2023—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई साइबर लॉ, साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एण्ड डिजिटल फोरेंसिक (पीजीडीडीएफ) में पी0जी0 डिप्लोमा को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शिखा श्रीवास्तवा (Smt. Shikha Srivastava), अपर निदेशक (एडमिन), न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।	संख्या-1545/IV-3168/एडमिन(ए-1), दिनांक 01.02.2025	नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	साइबर लॉ, साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एण्ड डिजिटल फोरेंसिक	2022

20 मार्च, 2025 ई0

सं0 274/दो-4-2025-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	अर्चना तिवारी-II, तत्कालीन सिविल जज (सी0डि0), प्रतापगढ़ सम्प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़	संख्या-2998/IV-4281/एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2020
2	विकास कुमार, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0) (एफ टी सी) (चौदहवां वित्त आयोग), रमाबाई नगर सम्प्रति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिल्हौर-रमाबाई नगर	संख्या-3002/IV-5710/एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
3	सत्यभामा कौशिकी, सिविल जज (जू0डि0) (एफ टी सी) (क्राइम अगेन्स्ट वूमन), बस्ती	संख्या-3004/IV-5537/एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल0एल0एम0	2023
4	रोहित यादव, अपर सिविल जज (जू0डि0), लखनऊ	संख्या-3006/IV-5623/एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल0एल0एम0	2023

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
5	गौरव द्विवेदी, सिविल जज (जू0डि0), भिनगा-श्रावस्ती	संख्या-3008/IV-4842 / एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
6	सुप्रिया शर्मा, अपर सिविल जज (जू0डि0), अमरोहा	संख्या-3097/IV-4765 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
7	रवि पाण्डेय, सिविल जज (जू0डि0), लखीमपुर खीरी	संख्या-3091/IV-4791 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
8	दीपांशु सैनी, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), मोहम्मदी-लखीमपुर, लखीमपुर खीरी सम्प्रति सिविल जज (जू0डि0), निघासन-लखीमपुर, लखीमपुर खीरी	संख्या-3089/IV-5080 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
9	मयंक सिंह, तत्कालीन अपर सिविल जज (जू0डि0), बुलन्दशहर सम्प्रति सिविल जज (जू0डि0), बुलन्दशहर	संख्या-3085/IV-4984 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
10	शिप्रा सिंह-II, अपर सिविल जज (जू0डि0), लखनऊ	संख्या-3083/IV-5092 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
11	अभिनव त्रिपाठी, सिविल जज (जू0डि0), संत कबीर नगर	संख्या-3081/IV-5691 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	एल0एल0एम0	2024
12	सौरभ पाण्डेय, सिविल जज (जू0डि0), बुलन्दशहर	संख्या-3079/IV-4745 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2021
13	करिश्मा सहदेव, सिविल जज (जू0डि0) (एफ टी सी) (चौदहवां वित्त आयोग), बुलन्दशहर	संख्या-3077/IV-5531 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2023
14	श्री प्रभात सिंह, अपर सिविल जज (सी0डि0), कानपुर नगर	संख्या-3075/IV-4505 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
15	रणन्जय सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, फूलपुर-प्रयागराज	संख्या-3000/IV-4961 / एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	पी0एच0डी0	2024
16	अमित कुमार मौर्य, अपर सिविल जज (जू0डि0), शिकोहाबाद-फिरोजाबाद, फिरोजाबाद	संख्या-3010/IV-5207 / एडमिन(ए-1), दिनांक 11.03.2025	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	पी0एच0डी0	2020
17	महेन्द्र कुमार पाण्डेय, ए0सी0जे0एम0 (रेलवे), वाराणसी	संख्या-3093/IV-4367 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	पी0एच0डी0	2023
18	अमित कुमार-III, सिविल जज (सी0डि0), सोनभद्र	संख्या-3095/IV-4332 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	पी0एच0डी0	2021
19	पूनम सिंह-II, ए0डी0जे0 (एफ टी सी), लखीमपुर खीरी	संख्या-3087/IV-3819 / एडमिन(ए-1), दिनांक 12.03.2025	डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	पी0एच0डी0	2007

2– उक्त तालिका के क्रम-संख्या-15 से 19 पर अंकित न्यायिक अधिकारियों के नाम के पहले डॉ0 लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
विजय कुमार,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग–8

अधिसूचना

06 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/785403/2024–चूँकि, बाराबंकी महायोजना-2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक, अमर उजाला'' में दिनांक 03 अगस्त, 2024 व ''दैनिक हिन्दुस्तान'' में दिनांक 05 अगस्त, 2024 में प्रकाशित की गयी थी।

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 1958) की धारा-14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किए गये उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन निदेश 1960 के पैरा-10ख के उप पैरा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में बाराबंकी, महायोजना-2021 में राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियमावली, 2014 प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भूस्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुँच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर निम्नलिखित संशोधन गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में जिलाधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची

क्रम सं0	फर्म का नाम	ग्राम के नाम	तहसील व जनपद का नाम	खसरा सं0	रकबा	बाराबंकी महायोजना-2021 के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग			परिवर्तित भू-उपयोग
						कृषि	ग्रीन बेल्ट	मार्ग	व्यावसायिक (रिसोर्ट हेतु)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
1	(मेसर्स शाकुन्तलम् रिसोर्ट्स) वाणी अग्रवाल	धरसनिया	तहसील नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी	45	0.0490	0.0490	—	—	0.0490
2				53	0.2000	0.1315	0.0685	—	0.1315
3				55	0.0270	—	0.015522	0.011478	—
4		गदिया		2806	0.2040	0.2040	—	—	0.2040
5				2795	0.3720	0.3720	—	—	0.3720
6				2803	0.1620	0.1620	—	—	0.1620
7				2796	0.0990	0.0990	—	—	0.0990
8				2797	0.3540	0.3540	—	—	0.3540
9				2798	0.0350	0.0350	—	—	0.0350
10				2799	0.1560	0.1560	—	—	0.1560
11				2801	0.0510	0.0510	—	—	0.0510
12				2805	0.2040	0.2040	—	—	0.2040
13				2802	0.2230	0.2230	—	—	0.2230
14				2800	0.4250	0.4250	—	—	0.4250
15				2804	0.0210	0.0210	—	—	0.0210
				योग. .	**2.5820**	**2.4865**	**0.084022**	**0.011478**	**2.4865**

11 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/791988/2024—चूंकि राज्य सरकार अयोध्या विकास क्षेत्रान्तर्गत अयोध्या महायोजना-2031 (क) में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' एवं ''दैनिक जागरण'' के संस्करण में क्रमशः दिनांक 01 सितम्बर, 2024 एवं 02 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से 02 आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुए जिस पर प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 21.09.2024 द्वारा सुसंगत निस्तारण कर दिया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अयोध्या विकास क्षेत्रान्तर्गत अयोध्या महायोजना-2031 (क) में अनसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करती हैं—

अनुसूची

(1) महायोजना 2031 (क) में 'सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें' भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ग्राम मांझा जमथरा का गाटावार सूची/विवरण।

क्रम सं0	ग्राम का नाम	खसरा/ गाटा संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल	अयोध्या महायोजना 2031 (क) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर–		
1	मांझा जमथरा	27मि0	22.26	पार्क एवं खुले स्थल	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें
			योग. . 22.26/55 एकड़		

(2) महायोजना 2031 (क) में 'पार्क एवं खुला स्थल' भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम सार्वजनिक सम्पत्ति का गाटावार सूची/विवरण।

(i) खलिहान के अंतर्गत अंकित गाटाओं का विवरण–

क्र0 सं0	ग्राम नाम	खसरा संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल	अयोध्या महायोजना 2031 (क) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तितभू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	खलिहान/बनवीरपुर	581	0.0340	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		648	0.0640		
		684	0.1640		
		765	0.2000		
		809	0.0250		
		846	0.1400		
2	खलिहान/हाजीपुर सिंहपुर	88	0.0380		
		118	0.0990		
		473	0.0240		
		495	0.0120		
		524	0.0210		
		649	0.0190		
		653	0.1520		
3	साधारण खलिहान/कोटसराय	214	0.0890		
		553	0.0250		
4	खलिहान/माधवपुर	239/958	0.0460	कृषि	

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
5	खलिहान (साधारण)/मऊ यदुवंशपुर	67	0.0310	आवासीय	
		1036	0.1420		
		1210	0.0870	कृषि	
		1400	0.0380		
		991	0.0690	आवासीय	
		1421	0.0510	कृषि	
		1423	0.0890		
		1442	0.1390		
		1556	0.1050		
		1624	0.0510		
6	हरिजन खलिहान/मऊ यदुवंशपुर	139	0.0760	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		298	0.0380		
		676	0.0920		
		1052मि0	0.0310		
		1056मि0	0.0250		
		1249	0.0230		
		1586	0.0190	कृषि	
		1578	0.1010		
		1052मि0	0.0250	आवासीय	
7	खलिहान/सलारपुर	500	0.1410	कृषि	
8	हरिजन खलिहान/मुमताज नगर	293	0.0380	आवासीय	
9	खलिहान घाटमपुर	343	0.1520		
		448	0.0630		
10	खलिहान/खानपुर मसौधा	210क	0.0250		
		230	0.0280		
		542ख	0.0410	कृषि	
		568	0.0440		
		571	0.1040		
		765	0.0780		
		769	0.0380		
11	खलिहान/रायपुर	135	0.8620		
		814	0.0280		
		821	0.0130		

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
12	खलिहान / हरीपुर जलालाबाद	288ख	0.1310	आवासीय	
		314	0.0250		
		985	0.1070	कृषि	
13	खलिहान / तकपुरा	46	0.0410	आवासीय	
		122	0.0190		
	खलिहान / तकपुरा	163	0.0160	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		289	0.0600		
		300	0.0410		
		327	0.0310		
14	खलिहान / नि0ग्राम-भीखापुर	24	0.0290		
		208मि0	0.0330		
		316	0.0100		
		449	0.0940		
15	खलिहान / नि0ग्राम-कुशमाहा	326	0.1320		
16	खलिहान / नि0ग्राम-शहनावजपुर उपरहार	86	0.1090		
		204	0.0380		
17	खलिहान / नंदा पुर	100	0.3920	कृषि	
18	खलिहान / मिर्जापुर शमसुद्दीनपुर	310	0.0610		
19	खलिहान / नि0ग्राम-गोपालपुर	94	0.1390	आवासीय	
		93	0.0150		
20	खलिहान / कोरखाना BNP	21	0.0190		
		43मि0	0.0540		
21	खलिहान / सहनवां	414मि0	0.1000		
22	खलिहान / नि0ग्राम-मक्खापुर	24	0.1040		
23	खलिहान / नि0ग्राम-बिरौली	445क	0.0310	कृषि	
24	खलिहान / नि.ग्राम-शिवदासपुर	509 ख	0.0570		
25	खलिहान / गंजा	552	0.2660	आवासीय	
		776	0.1360		
		886	0.3160		
		योग. .	**6.6450**		

(ii)– खाद गढ्ढा के अंतर्गत अंकित गाटाओं का विवरण–

क्र0	ग्राम नाम	खसरा संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल	अयोध्या महायोजना 2031 (क) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तितभू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	खाद गढ्ढा/बनवीरपुर	107	0.0190	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		135	0.0330		
		175	0.0060		
		193	0.0610		
		252	0.0250		
		738	0.0190		
		739	0.0970		
2	खाद का गढ्ढा /हाजीपुर सिंहपुर	86	0.0310		
		412	0.0170		
		652	0.0920		
3	खाद का गढ्ढा /भीखनपुर	222	0.0790		
		227	0.0670		
		356क	0.0630		
4	साधारण खाद गढ्ढा -कोटसराय	86	0.0250		
		213	0.0380		
		353	0.0250		
		555मि0	0.0210		
5	खाद गढ्ढा /माधवपुर	55	0.0130	कृषि	
		116	0.0090		
		121	0.0250		
		122	0.0130		
6	खाद गढ्ढा/नि0ग्राम-मऊ यदुवंशपुर	66	0.0060	आवासीय	
		68क	0.0890		
		78	0.0820		
		138	0.0100		

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
	खाद गढ्ढा/नि0ग्राम-मऊ यदुवंशपुर	282	0.0190	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		297	0.0310		
		349च	0.0160		
		673	0.0510		
		718	0.0310		
		720	0.0190		
		1031	0.1240		
		1043	0.0480		
		1054ख	0.0250		
		1057	0.0060		
		1096	0.0160		
		1620	0.1140	कृषि	
7	खाद गढ्ढा /इब्राहीमपुर दिवली	227	0.0480	आवासीय	
		475	0.0310		
		561	0.0250		
		598	0.0110		
8	खाद का गढ्ढा /नि0 ग्राम-फतेहपुर सरैया उपरहार	252	0.0950		
		368	0.0510		
		581	0.0760		
9	खाद का गढ्ढा /सलारपुर	315	0.2250	कृषि	
		337	0.0160		
		389	0.0310		
		439	0.1260		
10	खाद का गढ्ढा /मुमताज नगर	247	0.0950	आवासीय	
11	हरिजन खाद गढ्ढा /नि0 ग्राम मुमताज नगर	294	0.0250		
12	खाद गढ्ढा /घाटमपुर	199	0.0130	कृषि	

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
	खाद गढ्ढा /घाटमपुर	214	0.0160	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		349	0.0250		
		351	0.0130		
		449	0.0250		
13	खाद गढ्ढा /नि0 ग्राम-जगनपुर	389	0.0130		
14	खाद का गढ्ढा /खानपुर मसौधा	180	0.0250		
		184	0.0250		
		532	0.0250	कृषि	
		542क	0.0250		
		566	0.0510		
		595	0.0190		
		764	0.0310		
15	खाद गढ्ढा /जगदीशपुर	20	0.0440	आवासीय	
		21	0.0310		
16	खाद गढ्ढा /रायपुर	61	0.0180	कृषि	
		141ग	0.1230		
		145	0.0440		
		369	0.0990		
17	खाद का गढ्ढा /चिर्रामोहम्मदपुर	33	0.0280	आवासीय	
		380	0.0920	कृषि	
		494	0.0990		
		799क	0.0760		
18	खाद गढ्ढा /हरीपुर जलालाबाद	288ग	0.1390	आवासीय	
		306	0.0250		
		471	0.0820	कृषि	
		739	0.0380		
		987	0.0410		
		1394	0.1260		

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
19	खाद का गढ्ढा /तकपुरा	155	0.0130	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		174	0.0220		
		328	0.0100		
20	खाद का गढ्ढा /कुढ़ा केशवपुर उपरहार	23	0.0150		
		113	0.0510		
		125	0.0110		
		250	0.0310		
		279	0.0190		
		286	0.0190		
		378	0.0380		
		500	0.0220		
		507	0.0310		
		532	0.0280		
		544	0.0250		
		657मि0	0.0260		
		607मि0	0.0420		
		703	0.0380	कृषि	
		799	0.0470	आवासीय	
		842	0.0280		
		800मि	0.0950		
21	खाद का गढ्ढा /हैबतपुर	66	0.0470		
		113	0.1070		
		200	0.0490		
22	खाद का गढ्ढा /नि0 ग्राम-देवकाली BNP	340	0.0130		
23	खाद का गढ्ढा /नि0 ग्राम-भीखापुर	203	0.0860		
		312	0.0540		
		396मि0	0.0390		
		456	0.0570		

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
24	खाद का गढ्ढा/नि0 ग्राम-कुशमाहा	133	0.0760	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		260	0.0570		
		324	0.0230		
		909	0.1770		
25	खाद का गढ्ढा शाहनेवाजपुर मांझा	993	0.0600		
26	गढ्ढा -शाहनेवाजपुर मांझा	6	0.4800		
		605	0.0500		
27	खाद गढ्ढा /नंदा पुर	36	0.0310	कृषि	
28	खाद गढ्ढा /मिर्जापुर माफी	61	0.0250	आवासीय	
		232	0.0100		
		262	0.0160		
		263	0.0250		
29	खाद गढ्ढा /मिर्जापुर शमसुद्दीनपुर	83	0.0220		
		206	0.0530		
		265	0.0130		
		279	0.0210		
30	खाद गढ्ढा /नि0 ग्राम-गोपालपुर	11	0.0190		
		167	0.0060	कृषि	
31	खाद गढ्ढा /नि0 ग्राम-काजीपुर जमीं मलिकपुर	122	0.0380	आवासीय	
		133	0.0660		
32	खाद गढ्ढा /नि0 ग्राम-उसरू	135मि0	0.0060		
		184	0.0400		
		282	0.0130		
		302	0.0510		
		343	0.0230		
33	खाद गढ्ढा /पहाड़गंज	33	0.0120		
34	खाद गढ्ढा /कोरखाना	22	0.0100		
		63	0.0130		

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
35	खाद गढ्ढा /सहनवां	310	0.0760	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		414मि0	0.0730		
36	खाद गढ्ढा /फिरोजपुर सदर	209	0.1340		
		योग. .	**6.5130**		

(iii)– पशुचर/चरागाह के अंतर्गत अंकित गाटाओं का विवरण–

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1–	पशुचर भूमि/नि0 ग्राम-मऊ युदवंशपुर	45	0.3100	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		728क	0.0250		
		1481	0.8500	कृषि	
2–	पशुचर/मुमताज नगर	58	0.2020	आवासीय	
3–	पशुचर/जगनपुर	602	0.2400	कृषि	
		604	0.0190		
		607	0.0380		
		608	0.0250		
		624	0.3510		
		759	0.0060		
		666/1317	0.1200		
4–	पशुचर/चिर्रामोहम्मदपुर	937	1.8560		
5–	पशुचर भूमि/हरिपुर जलालाबाद	184	0.2780	आवासीय	
		1234	0.0690		
6–	पशुचर भूमि/नि0 ग्राम-भीखापुर	324	0.4060		
7–	पशुचर भूमि चरागाह/नि0 ग्राम-कुशमाहा	673	1.1130		
		863	0.6990		
		योग. .	**6.6070**		

(iv)– वृक्षारोपण के अंतर्गत अंकित गाटाओं का विवरण–

क्र0	ग्राम नाम	खसरा संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल	अयोध्या महायोजना 2031 (क) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तितभू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	वृक्षारोपण / बनवीरपुर	259	0.1900	आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
		888 मि0	0.0480		
		918	0.0760		
		888	0.1520		
		862	0.1030		
2	वृक्षारोपण / मऊ यदुवंशपुर	819	0.7900	कृषि	
		1265	0.1410	आवासीय	
		1233	0.5970	कृषि	
3	वृक्षारोपण / नि0 ग्राम-जगनपुर	736	0.0990		
4	वृक्षारोपण / नि0 ग्राम-रायपुर	695	0.0390		
5	वृक्षारोपण / चिर्रामोहम्मदपुर	136	0.2820	आवासीय	
		939	0.0670	कृषि	
		योग. .	**2.5840**		
		महायोग. .	**22.3490 / 55.2020 एकड़**		

प्रश्नगत् भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281 / 8-3-14-194विविध / 14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्हण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

16 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/824098/2024–चूंकि राज्य सरकार हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हापुड़ महायोजना-2031 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तिया एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार-पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' के संस्करण में दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा संस्था द्वारा जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन श्री राज्यपाल, हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत, हापुड़ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करती हैं–

क्रम सं0	ग्राम का नाम	तहसील/जिला	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	हापुड़ महायोजना 2031 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	ईशाकनगर	मोदीनगर/गाजियाबाद	216	13467.94 वर्गमीटर	कृषि	औद्योगिक

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जुलाई, 2023 ई0

सं0 चि0म0/597(5)–प्रमाणित किया जाता है कि वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या 10/25001(099)/15/2022-4 दिनांक 30 जून, 2023 जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में उप निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पद का अतिरिक्त प्रभार आज दिनांक 01 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में हस्तान्तरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	प्रीति कृष्ण
मोचक अधिकारी	नीरज कुमार गुप्ता

प्रति हस्ताक्षरित
निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0 प्र0, इलाहाबाद।

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कार्यभार प्रमाण-पत्र

03 जुलाई, 2023 ई0

सं0 वित्त/138–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-I/341861/2023 10-25001(099)/15/2022-4 दिनांक 30 जून, 2023 के अनुपालन में लेखाधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पद का कार्यभार दिनांक 03 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया है।

अवमुक्त अधिकारी	विनय कुमार पाण्डेय
अवमोचक अधिकारी	विनय कुमार पाण्डेय

प्रति हस्ताक्षरित
रमेश चन्द्र,
वित्त अधिकारी,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, झाँसी मण्डल, झाँसी

प्रभार प्रमाण-पत्र

03 जुलाई, 2023 ई0

सं0 झाँ0मं0/484(7)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष शासन, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-(File no).10-25001(099)/15/2022-4- दिनांक 30 जून, 2023 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, उप निदेषक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, झाँसी मण्डल, झाँसी के पद का पदाधिकार आज दिनांक 03 जुलाई, 2023 के अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

अवमोचक अधिकारी	आशीष वार्ष्णेय उपनिदेशक

प्रति हस्ताक्षरित
निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, बरेली मण्डल, बरेली

प्रभार प्रमाण पत्र

04 जुलाई, 2023 ई0

सं0 स0प्रे0 237(9)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-फाइल नं0-10-25001(099)/15/2022-4-1/341850/2023 दिनांक 30 जून, 2023 एवं फाइल नं0-10-25001 (099)/15/2022-4-1/341852/2023 दिनांक 30 जून, 2023 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, उपनिदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, बरेली मण्डल, बरेली के पद का प्रभार आज दिनांक 04 जुलाई, 2023 के अपरान्ह में हस्तांतरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	विनोद कुमार मिश्र
मोचक अधिकारी	आशीष वार्ष्णेय

कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 मीरजापुर

प्रभार प्रमाण-पत्र

04 जुलाई, 2023 ई0

सं0 190(5)प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के पत्रांक फाइल नं0 10-25001(002)/1/2022-4-1/337474/2023 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 04 जुलाई, 2023 के अपरान्ह में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का ग्रहण/हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी	वेद प्रकाश पाण्डेय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
मोचक अधिकारी	मदालसा श्रीवास्तव जिला लेखा परीक्षा अधिकारी मीरजापुर

कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, जिला ललितपुर

प्रभार प्रमाण-पत्र

05 जुलाई, 2023 ई0

सं0 जि0ल0/49(7)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-I/332707/2023-1025099/1265/2021-4 दिनांक 14 जून, 2023 के अनुपालन में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, ललितपुर के पद का प्रभार आज दिनांक 05 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

हरिमंगल सरोज

प्रभारी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,

प्रति हस्ताक्षरित
निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ

प्रभार प्रमाण पत्र

05 जुलाई, 2023 ई0

सं0 एफ0एस0-16-2023–प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या 1330/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 27 जून, 2023 द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री गोंड विशाल रामानुज को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0 रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री गोंड विशाल रामानुज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 04 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

श्री गोंड विशाल रामानुज
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित
अविनाश चन्द्र
महानिदेशक,
उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय,
लखनऊ।

मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 नई दिल्ली

कार्यभार-प्रमाणक

05 जुलाई, 2023 ई0

सं0 546/भुलेनदि/स्था0/(10)–प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन वित्त सेवायें अनुभाग–2 के आदेश संख्या-36/2023/एस-2-596/दस-2023 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2023 के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 नई दिल्ली का कार्यभार आज दिनांक 05 जुलाई, 2023 के पूर्वाहन/अपराहन में एतद्वारा निम्न प्रकार हस्तानान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी	श्रीमती पूनम मिश्रा
अवमोचक अधिकारी	ज्योति विपिन भदौरिया

प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग उ0प्र0 शासन

संख्या-टी-2278 दिनांक 25 जून, 1885, पृष्ठ 9 विभाग-दो सरकारी आदेशों का नियम संग्रह तीन-498-1

कार्यभार प्रमाणक

17 जुलाई, 2023 ई0

सं0 568 स्था0/छत्तीस-5-2023–प्रमाणित किया जाता है कि विशेष सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद का प्रभार नियुक्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0प0सं0-टी-149/दो-1-2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में, जैसा कि इसमें बताया गया है, दिनांक 17 जुलाई, 2023 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अवमुक्त अधिकारी	–
अवमोचक अधिकारी	कुणाल सिल्कू

प्रतिहस्ताक्षरित
अनिल कुमार-III
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग
उ0प्र0 शासन

प्रमुख सचिव नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-टी-2278 दिनांक 25 जून, 1885, पृष्ठ 9 विभाग-दो सरकारी आदेशों का नियम संग्रह तीन-498-1

कार्यभार प्रमाणक

18 जुलाई, 2023 ई0

सं0 14/31-2023–प्रमाणित किया जाता है कि उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय, लखनऊ के पद का कार्यभार नियोजन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1317/पैतीस-2-2023 दिनांक 04 जुलाई, 2023 मे जैसा कि इसमें बताया गया है, के क्रम में दिनांक 18 जुलाई, 2023 को पूर्वान्ह/अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

अवमुक्त अधिकारी	वरिष्ठ शोध अधिकारी/उपनिदेशक
अवमोचक अधिकारी	राम बहादुर सिंह

प्रति हस्ताक्षरित
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव
नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन विभाग

प्रभार प्रमाण पत्र

18 जुलाई, 2023 ई0

सं0 1317(1)/पैतीस-2-2023–श्री राम बहादुर सिंह, उप निदेशक, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रभाग मुख्यालय, लखनऊ में उप निदेशक के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2–श्री राम बहादुर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

राम प्रीत राम
उप सचिव।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पीलीभीत

प्रभार प्रमाण पत्र

18 जुलाई, 2023 ई0

सं0 पीली 115(9)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-फाइल नं0-10-25001(099)/1/2022-4-1/349566/2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पीलीभीत के पद का प्रभार आज दिनांक 18 जुलाई, 2023 के अपरान्ह में हस्तांतरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	विनोद कुमार मिश्र
मोचक अधिकारी	आशीष वार्ष्णेय

कार्यालय, निदेशक सेवायोजन, उ0प्र0

कार्यभार प्रमाणक

18 जुलाई, 2023 ई0

सं0 718/ई-1/0302/पी0के0 पुण्डीर–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या I/349770/2023/छत्तीस-5-2023, दिनांक 14 जुलाई, 2023 द्वारा श्री प्रमोद कुमार पुण्डीर, उप निदेशक सेवायोजन को नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक, सेवायोजन (ग्रेड वेतन-8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की गयी है।

शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुपालनार्थ मेरे द्वारा आज दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अपराह्न में अपर निदेशक सेवायोजन के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण कर्ता अधिकारी	पी0के0 पुण्डीर अपर निदेशक (सेवा0)

प्रतिहस्ताक्षरित

यशु सुस्तगी,

निदेशक।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बदायूँ

प्रभार प्रमाण-पत्र

20 जुलाई, 2023 ई0

सं0 72(9)—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-फाइल नं0-10-25001 (099) / 1 / 2022-4-1 / 349566 / 2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बदायूँ के पद का प्रभार आज दिनांक 20 जुलाई, 2023 के अपराह्न में हस्तांतरित / ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	विनोद कुमार मिश्र
मोचक अधिकारी	ऋषभ सिंह

कार्यालय, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, (कैम्प-वित्तीय सलाहकार) लखनऊ।

प्रभार प्रभाण-पत्र

20 जुलाई, 2023 ई0

सं0 116-132 / खा0ग्रा0बो0 / कैम्प-वि0स0 / 2023-24—प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पद का प्रभार वित्त (सेवाएं) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या एस0-2-678 / दस-2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 19 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमुक्त अधिकारी	केशव सिंह मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार
मोचक अधिकारी	मानवेन्द्र सिंह मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार

प्रतिहस्ताक्षरित
(ह0) अस्पष्ट
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

कार्यालय, सचिव उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग

कार्यभार-प्रमाणक

21 जुलाई, 2023 ई0

सं0 यूपीईआरसी/सचिव/2023-598—प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-एस-2-723/दस-2023, दिनांक 14 जुलाई, 2023 जैसा कि व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 21 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी	अरूण कुमार यादव वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
अवमुक्त अधिकारी	नीरज अग्रवाल, उप निदेशक (लेखा एवं वित विश्लेषक), (अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी)

प्रतिहस्ताक्षरित
शैलेन्द्र गौर,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

कार्यालय, वरिष्ठ कोषाधिकारी, भदोही

प्रभार प्रभाण-पत्र

22 जुलाई, 2023 ई0

सं0 454—(10) अधि0अनु0/को0भ0 2023-24—उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-एस-2-663/दस-2023 दिनांक 14 जुलाई 2023 के क्रम में श्री धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, भदोही का स्थानान्तरण संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर किया गया है तथा उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-एस-2-734/दस-2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी, भदोही के पद पर मेरी नियुक्ति होनें के फलस्वरुप उक्त पद का कार्यभार दिनांक 22 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में जैसा कि नीचे ब्यक्त किया गया है, नियमानुसार ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी वरिष्ठ कोषाधिकारी
मोचक अधिकारी	बृजेश सिंह वरिष्ठ कोषाधिकारी,

प्रति हस्ताक्षरित
गौरांग राठी,
जिलाधिकारी, भदोही।

कार्यालय, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज

प्रभार प्रमाण-पत्र

31 जुलाई, 2023 ई0

सं0 एम-1211(1 से 11 तक) –उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या-आई/258932/2023 फाइल नम्बर-10-4099/111/2021-4 दिनांक 09 जनवरी, 2023 तथा निदेशालय आदेश संख्या-राज0अधि0/व्य0प0/एम-888 दिनांक 04 जुलाई, 2023 के क्रम में आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पद का प्रभार उपरोक्त आदेशों के क्रम में आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अपरान्ह से निम्नानुसार प्रदत्त किया जाता है।

मुक्त अधिकारी	अजय कुमार सिंह
.....	मोचक अधिकारी

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

29 अगस्त, 2023 ई0

सं0 एम-1404–(1 से 10 तक)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-आई/377634/2023 फाइल नम्बर-10-25001 (002)/1/2022-4- दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुपालन में, लेखा परीक्षा संवर्ग के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से प्रोन्नति के पद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर शासन के शासनादेश के निर्देशानुसार सहायक निदेशक (मुख्यालय) (समूह ''ख'' वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, वेतनमान रु0 56,100–1,77,500) के पद पर कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज में आज दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण अधिकारी	कृष्ण कुमार जैन
	सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सं0 एम-1405(1 से 9 तक)––प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-आई/377619/2023 फाइल नम्बर-10-25001(002)/1/2022-4- दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुपालन में, लेखा परीक्षा संवर्ग के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से प्रोन्नति के पद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर शासन के शासनादेश के निर्देशानुसार सहायक निदेशक (प्रतिवेदन) (समूह ''ख'' वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, वेतनमान रु0 56,100–1,77,500) के पद पर कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज में आज दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण अधिकारी	श्रीप्रकाश मिश्र सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
सहायक निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

प्रभार प्रमाण-पत्र

15 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 राज0अधि0/एम-1508–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या-आई/388081/2023 फाइल नम्बर-10-25099/45/2023-4 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज का पदाधिकार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी	डॉ0 संजीव कुमार

प्रतिहस्ताक्षरित
पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग उ0प्र0 शासन

संख्या-टी-2278 दिनांक 25 जून, 1885, पृष्ठ 9 विभाग-दो सरकारी आदेशों का नियम संग्रह तीन-498-1

कार्यभार-प्रमाणक

02 अगस्त, 2023 ई0

सं0 796/43-1-2023—प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शुभ्रा के द्वारा अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग के पद का कार्यभार सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0), उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1/359408/2023 फाईल नं0-20-1001(001)/2/2022 दिनांक 31 जुलाई, 2023 से जैसा कि इसमें बताया गया है, दिनांक 02 अगस्त 2023 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी	शुभ्रा

प्रतिहस्ताक्षरित
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय, राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र

प्रभार प्रमाण-पत्र

02 अगस्त, 2023 ई0

सं0 389-5/चि0महा0/स्था0-प्रभार/2023-24—उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सेवाएं) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश सं0-एस-2-747/दस-2023 दिनांक 14 जुलाई 2023 के अनुपालन में वरिष्ठ कोषाधिकारी सोनभद्र का पदभार दिनांक 20 जुलाई, 2023 को ग्रहण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सेवाएं) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश सं0-21/2022/एस-2-1/184658/दस-2022-122/2022 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में वित्त नियंत्रक, राज्य स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय, सोनभद्र का पदाधिकार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में निम्नवत हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी	अजय कुमार सिंह वित्त नियंत्रक, राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र।
मोचक अधिकारी	इन्द्रभान सिंह वित्त नियंत्रक, राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

07 अगस्त, 2023 ई0

सं0 534/मीरजापुर/16फ-4—प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0-ई-21/3-2-1, दिनांक लखनऊ 06, अगस्त, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 07 अगस्त, 2023 को पूर्वान्ह में मुख्य वनच संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्राही अधिकारी — एन0 रवीन्द्रा

मुख्य वन संरक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

19 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1509/मीरजापुर/16एफ-4—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 उ0प्र0, लखनऊ के, पत्र-संख्या 1248/81-1-2023-30 (7)/2018 टी0सी0-11, लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पृष्ठांकन पत्र संख्या-ई-718/3-2-1, लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को पूर्वान्ह में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर के पद का कार्यभार श्री मनीष मित्तल, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को हस्तानन्तरित किया गया।

भारमुक्त अधिकारी — एन0 रवीन्द्रा

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर

भारग्राही अधिकारी — मनीष मित्तल,

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर

कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, चन्दौली

प्रभार प्रमाण-पत्र

02 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 356(4)–प्रमाणित किया जाता है कि वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के शासनादेश फाइल नं0-1/377630/2023-10-25001(002)/1/2022-4- दिनांक 29 अगस्त, 2023 के क्रम में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है आज दिनांक 02 सितम्बर, 2023 के पूर्वान्ह में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चन्दौली के पद का प्रभार हस्तान्तरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	विनोद कुमार मिश्र, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चन्दौली
मोचक अधिकारी	मनोज कुमार, प्रथम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

कार्यभार प्रमाण-पत्र

06 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 509(5)/आर0ए0/2023–प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश फाईल नं0 2-5099/392/2022-5-504 दिनांक 02 सितम्बर, 2023 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में उ0प्र0 संवर्ग के अधिकारी अधोहस्ताक्षरी अखण्ड प्रताप सिंह आई0ए0एस0-2010 को प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100–2,15,900 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में एतदद्वारा नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गई है, के अनुपालन में आज दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी का नाम	अखण्ड प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देवरिया।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कृषि रक्षा अनुभाग

प्रभार प्रमाण-पत्र

11 सितम्बर 2023 ई0

सं0 1024/कृ0र0/प्रभार प्रमाण-पत्र/2023-24—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1491/12-1-2023-111/2023 दिनांक 11, सितम्बर, 2023 के द्वारा कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400—67,000, ग्रेड पे रु0 10,000/- मैट्रिक्स लेबल-14) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद का प्रभार आज दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के पूर्वान्ह में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी — त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी

प्रतिहस्ताक्षरित

डॉ0 देवेश चतुवेदी,

अपर मुख्य सचिव,

कृ0, कृ0शि0एवं अनु0, कृ0वि0,

कृ0वि0व्या0एवं नि0प्रो0वि0

उ0प्र0 शासन

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पीलीभीत

प्रभार प्रमाण-पत्र

11 सितम्बर 2023 ई0

सं0 पीली 173(9)—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-1/377633/2023-10-25001(002)/1/2022-4- दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पीलीभीत के पद का प्रभार आज दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के पूर्वाह्न में हस्तांतरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी — आशीष वार्ष्णेय

मोचक अधिकारी — रवीन्द्र बहादुर श्रीवास्तव

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बदायूँ

प्रभार प्रमाण-पत्र

11 सितम्बर 2023 ई0

सं0 108(7)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-1/377623/2023-10-25001(002)/1/2022-4 दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अधीन जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बदायूँ के पद का प्रभार आज दिनांक 01 सितम्बर, 2023 की पूर्वान्ह में हस्तान्तरित/ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी	ऋषभ सिंह
मोचक अधिकारी	अमर सिंह

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश

प्रभार प्रमाण-पत्र

22 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 2834/स्था0प्र0/2023–प्रमाणित किया जाता है नियुक्ति अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 02-2001(002)/2/2023-2 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, वेतन बैण्ड-4 रु0 37,400–67,000 ग्रेड पे रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13 क) में वर्तमान पद पर आज दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी	नन्द लाल सिंह

प्रति हस्ताक्षरित

जी0एस0 प्रियदशी,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास उ0प्र0।

कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

प्रभार प्रमाण पत्र

03 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1332/एम0डी0ए0-अधि0/2023—विशेष सचिव, नियुक्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-टी-245/दो-1-2023, लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में श्रीमती कविता मीना, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर का पदाधिकार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 के अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी	अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
मोचक अधिकारी	कविता मीना, उपाध्यक्ष,

कार्यालय राजकीय इण्टर कालेज पैलानी, बांदा

कार्यभार ग्रहण/प्रभार हस्तांतरण आख्या

09 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 134-48—2023—24—उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-1748(97)/पन्द्रह-2-2023, लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2023, विज्ञाप्ति/नियुक्ति, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2021 के विज्ञापन संख्या A-1/E-1/2021 के आधार पर, प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज पद पर रुपये 15,600—39,100, ग्रेड पे 5,400/— पुनरीक्षित वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवन-10 रुपये 56,100/- वेतनमान पर चयनित, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-221 223, 305/01/ई-3/2021-22 दिनांक 14 मार्च, 2023, 12 अप्रैल, 2023 तथा 19 जून, 2023 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदया द्वारा अभ्यर्थी श्री ज्ञानवन्त सिंह तोमर को अंकित पदनाम-प्रधानाचार्य, तैनाती स्थल/जनपद नाम-राजकीय इण्टर कालेज पैलानी बांदा में अस्थायी रुप से नियुक्ति/तैनाती किये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके अनुपालन में कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा के पत्रांक/संस्था0/9126/2023-24 दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के आदेश पर श्री ज्ञानवन्त सिंह तोमर ने प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर राजकीय इण्टर कालेज पैलानी बांदा में दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण किया।

कार्यमुक्त अधिकारी	श्री शिव बहादुर पटेल
कार्यमोचक अधिकारी	श्री ज्ञानवन्त सिंह तोमर

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला विद्यालय निरीक्षक,
बांदा।

निदेशक उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ

कार्यभार-प्रमाणक

10 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 741 / दो-ब(2) / 2005–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-7163 / चार-2023 दिनांक 10 नवम्बर, 2023, जैसा कि इसमें बताया गया है, के अनुक्रम में दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के पूर्वान्ह में सहायक निदेशक (संरक्षण), उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी — विजय कुमार श्रीवास्तव,
सहायक निदेशक (सरंक्षण)

प्रतिहस्ताक्षरित
निदेशक
उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0बी0आर0 अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष), इटावा।

प्रभार प्रमाण-पत्र

17 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 सी0एम0एस0 / चिकि0अधि0 / माईक्रो0 / योगदान / 2023-24 / 2121-6–प्रमाणित किया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डा0 भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष) इटावा के पद का पदभार, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-3 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2621 / चि0-3-2023, दिनांक 20.10.2023 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या-3फ / ए / विशे0 एल-2 (स्तर-2) / 2022-23 / 1482 लखनऊ दिनांक-25 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के पूर्वान्ह में हस्तांतरित किया गया।

जैसा कि यहाँ पर व्यक्त किया गया है।

मुक्त अधिकारी — x x x x x
मोचक अधिकारी — डा0 नितिन कुमार सिंह
माइक्रोबायोलॉजिस्ट

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा0बी0आर0 अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय,
(पुरुष), इटावा।

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर फतेहगढ़

कार्यभार प्रमाण-पत्र

30 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 169(5)—कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-स्था0-2-रा0क0अ0-पदोन्नति-2022-23/2023-24/2321/राज्य कर/(स्थापना राजपत्रित) लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-85(2)/30/पी/सेवा-1 (5)/2023-24, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सूची के क्रमांक-26 पर अंकित कार्मिक श्री मिर्जा सुहेल अहमद बेग (संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक-1456) को राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन मैटिक्स लेवल-8 (रु0 47,600—1,51,100) पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के क्रम में श्री मिर्जा सुहेल अहमद बेग द्वारा आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के अपरान्ह में राज्य कर अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहणकर्ता अधिकारी

मिर्जा सुहेल अहमद बेग,
राज्य कर अधिकारी,
फतेहगढ।

प्रतिहस्ताक्षरित
शरद प्रताप सिंह,
सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
फतेहगढ।

170(5)—कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-स्था0-2-रा0क0अ0-पदोन्नति-2022-23/2023-24/2321/राज्य कर/(स्थापना राजपत्रित) लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-85(2)/30/पी/सेवा-1 (5)/2023-24, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सूची के क्रमांक-109 पर अंकित कार्मिक श्री अरूण कुमार सिंह (संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक-403) को राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन मैटिक्स लेवल-8 (रु0 47,600—1,51,100) पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के क्रम में श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के अपरान्ह में राज्य कर अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहणकर्ता अधिकारी

अरूण कुमार सिंह,
राज्य कर अधिकारी
फतेहगढ।

प्रतिहस्ताक्षरित
शरद प्रताप सिंह,
सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
फतेहगढ।

सं0 171(5)—कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-स्था0-2-रा0क0अ0-पदोन्नति-2022-23/2023-24/2321/राज्य कर/(स्थापना राजपत्रित) लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-85(2)/30/पी/सेवा-1 (5)/2023-24, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सूची के क्रमांक-44 पर अंकित कार्मिक श्री राजेश कुमार (संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक-1481) को राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन मैटिक्स लेवल-8 (रु0 47,600—1,51,100) पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के क्रम में श्री राजेश कुमार द्वारा आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के अपरान्ह में राज्य कर अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहणकर्ता अधिकारी

राजेश कुमार,
राज्य कर अधिकारी
फतेहगढ।

प्रतिहस्ताक्षरित
शरद प्रताप सिंह,
सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
फतेहगढ।

सं0 172(5)—कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-स्था0-2-रा0क0अ0-पदोन्नति-2022-23/2023-24/2321/राज्य कर/(स्थापना राजपत्रित) लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-85(2)/30/पी/सेवा-1 (5)/2023-24, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सूची के क्रमांक-63 पर अंकित कार्मिक श्री पंकज कान्त मिश्रा (संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक-1380) को राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन मैटिक्स लेवल-8 (रु0 47,600—1,51,100) पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के क्रम में श्री पंकज कान्त मिश्रा द्वारा आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के अपरान्ह में राज्य कर अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहणकर्ता अधिकारी

पंकज कान्त मिश्रा,
राज्य कर अधिकारी
फतेहगढ।

प्रतिहस्ताक्षरित
शरद प्रताप सिंह,
सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
फतेहगढ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकारण, नोएडा

कार्यभार प्रमाण-पत्र

14 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 नौएडा/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्मिक/2023/5720–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या 02-1001(002)/1/2021-1-(1/425333/2023) दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है कि मैंने नौएडा प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु0 78,800–2,09,200/- में आज दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।

मोचक अधिकारी

महेन्द्र प्रसाद
विशेष कार्याधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

13 अगस्त, 2025 ई0

संख्या : 1132/08–अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0, लखनऊ–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा–मल्हौर रेल सेक्शन के कि0मी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद लखनऊ, तहसील सदर, परगना लखनऊ, ग्राम भरवारा की 0.9134 हे0 की भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 13.08.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का साराँश इस प्रकार हैः–

उत्तर रेलवे के दिलकुशा और मल्हौर के रेल सेक्शन कि0मी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु ग्राम भरवारा, तह0 सदर, जिला लखनऊ में सेतु निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित मे है, और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति, सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भूमि के अधिग्रहण से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना से अधिक है।

4–भूमि अर्जन में विस्थापन की सम्भावना नही है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/प्लाट संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	लखनऊ	सदर	भरवारा	849	0.1129
2				857	0.1738
3				856	0.0403
4				855	0.0384
5				863	0.0204
6				859	0.0562
7				789स	0.0080
8				792	0.0663

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
9	लखनऊ	सदर	भरवारा	811	0.0061
10				802	0.0159
11				801स	0.0123
12				800	0.0219
13				795	0.1254
14				798	0.0046
15				796	0.1444
16	लखनऊ	सदर	विराज खण्ड साईड	557 (प्लाट नं0–2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146,	0.0113
17				592 (प्लाट नं0–2/152, 2/153, 2/154)	0.0078
18				590 (प्लाट नं0–2/155, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161)	0.0214

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
19				588अ,	
				588ब,	0.0260
				590स)	
				कुल योग	0.9134

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0–40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

कमलेश कुमार गोयल,
कलेक्टर, लखनऊ,
भूमि अध्यापित प्रयोजनार्थ।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद् अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

सं0 3217/न0प0परि0अ0/2024–25–नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर ने नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं उसमें दी गई उप-धाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 15.06.2024 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा उपविधि बनाने हेतु अनुमोदनोपरान्त, ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा आनुशांगिक मामलों के लिए उपविधि तैयार कर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पालिका के पत्र संख्या–1721/न0पा0परि0अ0/2024–25 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र ''सप्तरत्न व राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित की गयी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं :–

(क). उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख). फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग). सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ). मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ). प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट 2013 आईएस कोड 2470 भाग–1 और 1, 1985 (1996 रीअफर्स्ट) सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(च). केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(छ). जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ज). उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एव सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद् अकबरपुर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद् अकबरपुर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षेप शीर्षक, विस्तार और आरंभ

(क) इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2024 कहा जा सकता है।

(ख) ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होगी।

2. परिभाषा

(i). **''एक्सेस कवर''** का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो।

(ii). **''अपेलेट बॉडी''** निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का सम्बोधन करना है।

(iii). **''फीकल स्लज या सेप्टेज का को–ट्रीटमेंट''** उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

(iv). **''को–ट्रीटमेंट फैसिलिटी''** का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

(v). **''विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (D.W.W.T.) प्रणाली''** का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

(vi). **''नियुक्त अधिकारी''** निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(vii). **''डीस्लजिंग''** का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

(viii). **''निस्तारण''** का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन।

(ix). **''एफ्लूयंट''** का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)।

(x). **''फीकल स्लज एवं सेप्टेज''** का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

(xi). **''फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.T.P.)''** का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

(xii). **''ग्रेवाटर''** का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नान घर का पानी हो सकता है।

(xiii). **''होस्ट यूएलबी''** का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय होस्ट' बना रहेगा।

(xiv). **''ईनसैनिटरी लेट्रिन्स''** का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

(xv). **''लाइसेंस''** का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गयी लिखित अनुमति है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

(xvi). **''लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर''** (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

(xvii). **''अधिसूचित स्थान''** का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

(xviii). **''ऑनसाइट सेनिटेशनसिस्टम (ओएसएस)''** ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह सेनिजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता।

(xix). **''ऑपरेटर''** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

(xx). **''मालिक''** का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

(xxi). **''व्यक्ति''** का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है। प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

(xxii). **''सैनिटरीलेट्रिन्स''** का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

(xxiii). **''सेप्टिक टैंक''** भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(xxiv). **''शेड्यूल्ड डीस्लजिंग''** का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2–3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

(xxv). **''सेप्टेज''** का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।

(xxvi). **''सीवेज''** का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्टवॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

(xxvii). **''सीवर''** वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

(xxviii). **''सीवेज पम्पिंग स्टेशन''** का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

(xxix). **''सीवेज उपचार संयंत्र''** का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

(xxx). **''निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी''** का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबन्धित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

(xxxi). **''परिवहन या ढुलाई''** का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

(xxxii). **''उपचार''** का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियो लॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

(xxxiii). **''उपचार सुविधा''** का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।

(xxxiv). **''यूएलबीक्लस्टर''** का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय के साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

(xxxv). **''निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक''** का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

(xxxvi). **''निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)''** ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

(xxxvii). **''अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्डवॉटर''** का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आम तौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

(xxxviii). **''कर्मी''** का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय ॥

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

(i). यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें ।

(ii). अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii). यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन–पिट या सोकपिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट– 1)।

(iv). वे परिपतियाँ जो प्रतिदिन X किलोलीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर XX वर्गमीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो ।

अध्याय–III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकाय के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएसकोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय–समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद् अकबरपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/ निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii) परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2–3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi) नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद् अकबरपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद् अकबरपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii) नगर पालिका परिषद् अकबरपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

(i) नगर पालिका परिषद् अकबरपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद् अकबरपुर अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद् अकबरपुर ऑपरेटर द्वारा अधि सूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(v) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

(i) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (xxi) में परिभाषित ''व्यक्ति'' से होगा।

(ii) आवेदक को उचित सक्शन/ वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

(iii)(शहर का नाम) में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv)आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिए गए मान दण्डों को पूरा करते हैं।

(vi)आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद् अकबरपुर या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जोकि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट–3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिये आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट–4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म–2, परिशिष्ट–5)।

9. लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय–समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

(i) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 1000 (भ). पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(ii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्कः रु. 5000

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा समय–समय पर अपनी वेबसाइट के साथ–साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेस शुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12. जागरुकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जायेगा।

अध्याय–V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डी-स्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा

(i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

(ii) मालिक/अधिभोगी डी-स्लजिंग सेवा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट–6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

(i). समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii). शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग'' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर

में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(iii). लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिये निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

(i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii). आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

(iii). डी-स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय–समय पर नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv). ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद् अकबरपुर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v). वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septictank waste (अंग्रेजी में) और ''मल कुण्ड अपशिष्ट '' (हिंदी में) लिखा होगा ।

(vi). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जी पी एस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डी-स्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो ।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचाव कारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों। उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस–डिटेक्टर, गैस मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहॅबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा ।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

(i). लाइसेंस धारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii). लाइसेंसधारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिट– 6 देखें)।

(iii). होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

(i). निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म–4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

(ii). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर वैक्यूम टैंकर की गुणवता और रख–रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(iv). संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवता का निरीक्षण निकाय का नाम) द्वारा किया जायेगा।

(v). होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे उपचार सुविधा में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi). एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि 'होस्ट यूएलबी '' को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा ।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

(i). निकाय या ग्राम पंचायत खनिज के पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम , होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii). निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii). यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v). होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवता का निरीक्षण करेगा।

(vi). यदि ''होस्ट यूएलबी' की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद् अकबरपुर को एक नए ''होस्ट यूएलबी की खोज करनी चाहिये या नये ''उपचार सुविधा के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिये।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सर्वाधिक प्रशिक्षण के लिए उतरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिये और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय–समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27–03– 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर समय–समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का उपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

(i). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जायेगा।

(ii). उपचार सुविधा के अभाव में (निकाय का नाम), आसपास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii). फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के आसपास के क्षेत्र में ''क्लस्टर यूएलबी की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये अवसंरचना का निर्माण

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर जरूरी आधार भूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

(i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने के लिए नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जायेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी।

(ii). ''फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम'' उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने या इसे ''होस्ट यूएलबी'' के ''उपचार सुविधा में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी), द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय–समय पर निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा ।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34. प्रशासन और प्रवर्तन

(i). इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी। (पप). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए समय– समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(ii). निकाय का नाम शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iii). नगर पालिका परिषद् अकबरपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जेन्सी रिसपॉस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा ।

35. जांच के लिए विशेष शक्ति

(i). इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद् अकबरपुर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

(i). इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

(ii). किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता हैः (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस /सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii). इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट–8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv). जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट–8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय–समय पर नगर पालिका परिषद् अकबरपुर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v). संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (निकाय का नाम) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

परिशिष्ट–1

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 भाग 1, 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम ओ एच यू ए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मल जल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

1–आयताकारः लम्बाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4

2–गहराईः 1.0 से 2.5 मी. के बीच

3–दो कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3

4–तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा

5–मशीन–छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

7–निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
1	2	3	4
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी आई एस 2470 (भाग 1). 1985 देखें

नोट 2:फ्रीवोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोतः सीवरेज और मल जल उपचार पर मैनुअल भाग ए इंजीनियरिंग सी पी एच ई ई ओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुयें हैः

1–अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली0/मिनट की पीकदर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है।आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

2–फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।

3–फीकल स्लज और मल भंडारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता 0.0002'365 = 0.073 उ3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।

4–फ्रीबोर्ड कम से कम 0.3 मी.

परिशिष्ट–2

(खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोग कर्ता शुल्क (यूजरफीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0सं0	श्रेणी	रू.में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
1	आवासीय	1500
2	व्यवसायिक	2000
3	सरकारी स्कूल/कालेज	1500
4	निजी स्कूल/कालेज	2000
5	सरकारी कार्यालय	1500
6	होटल, रेस्टोरेन्ट, निजी अस्पताल	2000
7	राइसमिल/अन्य मिल व औद्योगिक संस्थान	2500

स्रोतः–सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोटः

1–उपयोग कर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2–उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जव अन्य कचरे (पॉलीवैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे को भी व्याक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट–3

(खंडः 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्यस्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिएः–

(i). शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

(ii). शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

(iii). सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।

(iv). सेफ्टी टॉर्च

(v). भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

(vi). संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

(vii). टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।

(viii). दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयर प्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनिस्तर 85 कंठ से अधिक होता है।

(ix). आपातकालीन में डिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

(x). गैस मॉनीटर

(xi). हेडलैंप

(xii). गाइड पाइपसेट

(xiii). सेफ्टी ट्राइपॉडसेट

(xiv). वेडरबूट

(xv). एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi). मॉड्यूलर एयर लाइंसस प्लाई ट्रॉली सिस्टम

(xvii). रेनकोट

परिशिष्ट– 4

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1 : नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर–अम्बेडकर नगर में फीक लस्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदारों का एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं

1–आवेदक का नामः– (श्री/सुश्री) .....

2–पताः–.....

.....

.....

3–पंजीकृत कार्यालय का पताः–.....

.....

.....

4–टेलीफोन नंबरः–(कार्यालय).....

(मो0):–..... ईमेल आईडीः– .....

5–

मल–कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण						
क्र0 सं0	वाहन का रजिस्ट्रेान नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर–माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1						
2						
3						
4						

6–लाइसेस की प्रोसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद .....

(रसीद संख्या)

7–संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व–प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं):

दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुलसंख्याः–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तो को पढ़ और समझ लिया है और इनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर / संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
8. वाहन टैंकर कर को पीलेरंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और ''मल कुण्ड अपशिष्ट'' (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में xy दिनों पर x:am से y:pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेंगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर

License for Private Desludging Operator

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय नगर पालिका परिषद् अकबरपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

पीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मौहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

1. आवेदक का नामः (श्री/सुश्री):.....
2. पत्राचार का पता:.....
   .....
   .....
   .....
3. निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः
4. मान्यता.....से .....तक
5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर : (i).....;(ii) .....
   (i).....,(ii) .....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा ।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और ''मल कुण्ड अपशिष्ट '' (हिंदी में) लिखा होगा ।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 08 am से 06pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंस धारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तर दायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

(यू एल बी का नाम) में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक :..... समय:.....

I- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम:.....

2. पता:.....

.....

.....

(क) वार्ड संख्या:. .....

(ख) टेलीफोन नं.. .....

II- रोकथाम

1–निर्माण का वर्ष..... 2– पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY):.....

2–आउटलेट मौजूद (हां/नहीं):..... 3– यदि हां, तो किससे जुड़ा है.....

4–रोकथाम के प्रकार.....(चेक बॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सहीकरें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पंक्तिबध	
संग्रह टैंक		ट्वीन पिट (अनलाइन्ड	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

4–रोक थाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

5–संपत्ति के भीतर रोक थाम का स्थान (चेक बॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	स्ही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III-कीचड़ साफ करना

i–फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) ..... ii. कीचड़ निकालने में लगने वाला स.....

iii. ट्रिप की लम्बाई (किमी): ..... iv. आने–जाने में समय: .....

IV-कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम: .....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर :.....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर **उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर**

परिशिष्ट– 7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4: ''होस्ट यूएलबी''पर उपलब्ध ''उपचार संयंत्र'' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन। होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति निकाय (नगर निगम /नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्स वाई जेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) **नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर** की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, ''होस्ट यूएलबी' (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र'' पर समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यूएलबी' (नगर पालिका परिषद् अकबरपुर)

द्वितीय पक्ष''एक्स वाय जेड यूएलबी'' (निकाय का नाम .....)

उपबंधः

1. यह कि ''प्रथम पक्ष'' दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख)तक ''द्वितीय पक्ष'' की प्रशासनिक सीमाओं से उनके ''उपचार संयंत्र'' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)
2. ''प्रथम पक्ष अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने 'उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि ''द्वितीय पक्ष'' समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेपटिपिंग शुल्क के रूप में रु. (अनुबन्ध के अनुसार) देने के लिए सहमत है।
4. यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय–समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझायें।
6. कि ''द्वितीय पक्ष'' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर ''द्वितीय पक्ष'' की मुहर के साथ लाइसेंस धारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथमपक्ष	**द्वितीय पक्ष**
अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर	अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर
अकबरपुर	.....

परिशिष्ट 8

जुर्माना और फाइन

क्र0 सं0	विवरण	खण्ड संख्या	फाइनसीमा (रू0में)	जुर्माना (रू या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओ एस एस का अवैज्ञानिक डिजायन	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर–अनुपालन	16.17	1000–1500	
4.2	ल्गातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16.17	1000–1500	
4.3	ल्गातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16.17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एस टी पी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5000–10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5000–10000	
5.3	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27,28,29	5000–10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28,29	5000–10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27,28,29	1500–2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

परिशिष्ट-9

संदर्भित दस्तावेज (खंड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, अपीली प्राधिकार के पास ..... (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नामः .....
2. आवेदक का पताः .....

.....

.....

3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई

   नामः ..... पदः .....
4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गईः .....
5. अपील दायर करने की तारीखः .....
6. सूचना विवरणः–

क. संक्षेप में अपील की विषय–वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी .... एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः ..... तिथिः .....

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेखः

1. .....
2. .....

..... x ..... x ..... x ..... x ..... x .....

पावती

संख्या ..... तिथि ..... अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .... स्थानः .... तिथिः .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से (नगर पालिका परिषद् अकबरपुर)
अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर
नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर।

(बीना सिंह),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
अकबरपुर–अम्बेडकरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा मौर्या पुत्र सुक्खूलाल मौर्या है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5575 3297 0237 में उसका नाम किशन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा मौर्या पुत्र सुक्खूलाल मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शकुन्तला देवी,
पत्नी श्री सुक्खूलाल मौर्या,
ग्राम धरमपुरवा पो0 रौना कला,
तहसील रूधौली, जिला बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरूषी त्रिपाठी (AARUSHI TRIPATHI) पुत्री संतोश कुमार त्रिपाठी है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3586 3963 3207 में उसका नाम दीक्षा त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरूषी त्रिपाठी पुत्री संतोष कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतोष कुमार त्रिपाठी,
ग्राम व पोस्ट नोनापार, जिला देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत कुमार राय (AKSHAT KUMAR RAI) पुत्र धीरेंद्र कुमार राय है जो कि उसके आधार कार्ड सं0–8670 4478 2882 पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम अक्षत कुमार (AKSHAT KUMAR) पुत्र धीरेंद्र कुमार राय अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत कुमार राय (AKSHAT KUMAR RAI) पुत्र धीरेंद्र कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता ह्रै कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धीरेंद्र कुमार राय, पुत्र धर्मराज राय,
पता–मकान नं0–बी–62 अहिल्याबाईनगर,
कल्यानपुर, जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुरभि मिश्रा पुत्री राजीव मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7251 7087 6617 में उसका नाम रितिका मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुरभि मिश्रा पुत्री राजीव मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव मिश्रा पुत्र स्व0 राम मिश्रा,
निवासी–1173/808 दारागंज,
परगना व तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूद्र प्रताप राय (RUDRA PRATAP RAI) पुत्र धीरेंद्र कुमार राय है जो कि उसके आधार कार्ड सं0–5648 1592 4879 पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम रूद्र प्रताप

(RUDRA PRATAP) पुत्र धीरेंद्र कुमार अंकित हो गया है। जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूद्र प्रताप राय (RUDRA PRATAP RAI) पुत्र धीरेंद्र कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धीरेंद्र कुमार राय, पुत्र धर्मराज राय,
पता–मकान नं0–बी–62 अहिल्याबाईनगर,
कल्यानपुर, जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अर्पिता यादव पुत्री अमित सिंह यादव है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5988 3397 6699 में उसका नाम रिया कुमारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अर्पिता यादव पुत्री अमित सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमित सिंह यादव,
पुत्र ह्रदय नारायण सिंह यादव,
निवासी–ग्राम तेतरिया, पो–भॉवरकोल,
जिला–गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शारवी रावत पुत्री राजीव रावत है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4626 3122 2768 में उसका नाम अवीरा रावत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शारवी रावत, (SHARVI RAWAT) पुत्री राजीव रावत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव रावत,
पुत्र स्व0–बीरेन्द्र पाल सिंह रावत,
टावर–1, फ्लैट नं0 602ए पार्श्वनाथ,
प्लेनेट अपार्टमेन्ट, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋषभ सोनी (RISHABH SONI) पुत्र सतीश चन्द्र स्वर्णकार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9372 8601 5688 में उसका नाम हर्ष सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋषभ सोनी (RISHABH SONI) पुत्र सतीश चन्द्र स्वर्णकार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सतीश चन्द्र स्वर्णकार पुत्र नरेश स्वर्णकार,
निवासी– जगदीशपुर, चांधन,
अटरामपुर उर्फ नवाबगंज, प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दियान श्रीवास्तव पुत्र विनायक श्रीवास्तव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड नंबर–4884 5430 1073 में अंकित है मैने अपने पुत्र के स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अभिजीत श्रीवास्तव (ABHIJEET SRIVASTAVA) पुत्र विनायक श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभिजीत श्रीवास्तव (ABHIJEET SRIVASTAVA) पुत्र विनायक श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनायक श्रीवास्तव,
पुत्र नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
निवासी– 631/369/1, पटेल नगर योजना,
सेक्टर–8, इंदिरानगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विहान श्रीवास्तव पुत्र विनायक श्रीवास्तव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड नंबर–2839 8520 5072 में अंकित है मैने अपने पुत्र के स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आदित्य श्रीवास्तव (ADITYA SRIVASTAVA) पुत्र विनायक श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य श्रीवास्तव (ADITYA SRIVASTAVA) पुत्र विनायक श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनायक श्रीवास्तव,
पुत्र नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
निवासी– 631/369/1, पटेल नगर योजना,
सेक्टर–8, इंदिरानगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक कुमार जैसवार (ABHISHEK KUMAR JAISWAR) पुत्र अमित कुमार जैसवार है जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9214 9393 6889 में मेरे पुत्र का नाम आलोक जैसवार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक कुमार जैसवार पुत्र अमित कुमार जैसवार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमित कुमार जैसवार,
निवासी– ग्राम व पोस्ट–महामलपुर,
जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विवेक श्रीवास्तव पुत्र अनिल कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5029 5969 3998 में मेरा नाम विभू श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम विवेक श्रीवास्तव पुत्र अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विवेक श्रीवास्तव,
पुत्र अनिल कुमार,
निवासी–एच0156, जानकीपुरम गार्डेन,
जानकीपुरम, थामस एकेडमी विद्यालय के पास
लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वान्या शर्मा (VANYA SHARMA) पुत्री आशीष कुमार शर्मा है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5530 7463 0835 में उसका नाम सिधी शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वान्या शर्मा (VANYA SHARMA) पुत्री आशीष कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशीष कुमार शर्मा,
पता–पूरब मोहाल राबर्ट्सगंज,
जनपद सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका शर्मा पुत्री अनुज कुमार शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3985 2084 0679 में उसका नाम स्वास्ती शर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका शर्मा पुत्री अनुज कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुज कुमार शर्मा,
पुत्र स्व0 अशोक कुमार शर्मा,
निवासी–218 सी0ओ0डी0 कालोनी,
कोयला नगर, किदवईनगर,
कानपुर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम कृष्ण लाल पुत्र सत्तीदीन है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6631 8452 7769 में मेरा नाम रामनिवास पुत्र सत्तीदीन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे कृष्ण लाल पुत्र सत्तीदीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्ण लाल पुत्र सत्तीदीन,
ग्राम गौरन खेड़ा पो0 जोगापुर,
तहसील लालगंज, जिला रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम वर्षा तिवारी पुत्री उदय नारायण तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4897 9893 0137 में उसका नाम शुभी तिवारी अंकित हो गया है, जोकि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वर्षा तिवारी पुत्री उदय नारायण तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उदय नारायण तिवारी,
कस्तूरीपुर कस्तूरी होलागढ़ सोरांव,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही सोनकर पुत्री राजा सोनकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–3822 8114 8815 में उसका नाम नव्या सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही सोनकर पुत्री राजा सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजा सोनकर,
निवासी–137/67, तकिया गनेशगंज,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौमिक सोनकर पुत्र राजा सोनकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9611 4919 3870 में उसका

नाम आर्यवीर सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौमिक सोनकर पुत्र राजा सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजा सोनकर,
निवासी–137/67, तकिया गनेशगंज,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैभव पाल पुत्र नीरज कुमार पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6532 3510 9251 में उसका नाम आशीष अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वैभव पाल पुत्र नीरज कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मीना देवी पत्नी नीरज कुमार पाल,
निवासी भटनैया, छांगुर पुरवा, बांसगांव,
गोंडा उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका सोनकर पुत्री शिव गणेश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3289 0891 3897 में उसका नाम राखी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका सोनकर पुत्री शिव गणेश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव गणेश पुत्र राम लखन,
निवासी 08 नरेन्द्रपुर, चारूहार, जलालपुर,
धई, दलालपुर, रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा दूबे (KRISHNA DUBEY) पुत्र अखिलेश दूबे है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8433 5195 7994 में उसका नाम हार्ष दूबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा दूबे पुत्र अखिलेश दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अखिलेश दूबे पुत्र कृष्ण मोहन दूबे,
पता–मेवली पोस्ट-मेउली,
जिला-मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लकी पुत्र विनोद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6136 2727 4330 में मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लकी पुत्र विनोद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लकी पुत्र विनोद,
निवासी–जकरियापीर महोबा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में नाम अंशिका तिवारी पुत्री शिव गणेश तिवारी अंकित है जो कि सत्य है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6841 9228 7091 में नाम अविष्का तिवारी दर्ज है जो कि गलत है। मेरी पुत्री को भविष्य में अंशिका तिवारी पुत्री शिव गणेश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव गणेश तिवारी,
जगदीशपुर, कटरा डुमरियाडीह, गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निहारिका आर्य पुत्री अरूण कुमार आर्य है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5487 1037 6104 में उसका नाम निहारिका अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निहारिका आर्य पुत्री अरूण कुमार आर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरूण कुमार आर्य,
41 ए रम्मन का पूरा सुलेम सराय,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मनीष यादव पुत्र जयमंगल यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र का आधार कार्ड सं0–6963 7908 6151 में उसका नाम अवनीश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मनीष यादव पुत्र जयमंगल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जयमंगल यादव पुत्र स्व0 लालधारी,
ग्राम प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर,
पो0 कारीसाथ तहसील सदर मऊ,
जिला मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुम्मी जायसवाल पुत्री बैजनाथ जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4118 7056 7274 में उसका नाम एकता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुम्मी जायसवाल पुत्री बैजनाथ जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बैजनाथ जायसवाल,
मालवीय रोड, भाटपार रानी,
देवरिया, यू0पी0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जनक दुलारी पत्नी मनोज कुमार सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं उ0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य पत्रक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4097 2034 6442 में मेरा नाम शिखा देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जनक दुलारी पत्नी मनोज कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जनक दुलारी पत्नी मनोज कुमार सिह,
निवासिनी–82 अ अनघौरा,
जालौन उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक पुत्र लालजीत है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9388 9760 4213 में उसका नाम सोनू अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक पुत्र लालजीत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेखा देवी पत्नी लालजीत,
नि0–माधव नगर, पोस्ट–भैसाया,
रसूलाबाद, कानपुर देहात उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विनीत कुमार केशरी पुत्र राधेश्याम गुप्ता है जो कि उनके शैक्षणिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे और मेरे पुत्र के इक्विटी शेयरों जिनका फोलियो नं0 E0122949, 201770799, 10592309, 103082831 है में उनका नाम विनीत कुमार गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। विनीत कुमार गुप्ता और विनीत कुमार केशरी दोनों एक ही व्यक्ति है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राधे श्याम गुप्ता, पुत्र शम्भूनाथ गुप्ता,
44/3 मास्टर जहरूल हसन रोड,
कटरा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया जायसवाल (Shreya Jaiswal) पुत्री रजनीश जैसवाल (Rajneesh Jaiswal) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6032 1670 9890 में उसका नाम Sriya अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया जायसवाल (Shreya Jaiswal) पुत्री रजनीश जैसवाल (Rajneesh Jaiswal) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रजनीश जैसवाल,
पता–448 डेहरास, गोंडा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9636 2414 1509 में त्रुटिवश पुत्री का नाम काजल अंकित हो गया है, जब कि पुत्री का शैक्षिक अभिलेखों में उसका सही नाम आकांक्षा अंकित है। अतः पुत्री को आकांक्षा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव कुमार पुत्र रामलखन,
नि0 बरकसी पो0 मल्होसी तहसील विधूना,
जिला औरैया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंकुश पटेल पुत्र रामसरोज वर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8583 3341 0087 में उसका नाम अविनाश अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य

में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंकुश पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामसरोज वर्मा पुत्र कालीदीन वर्मा,
ग्राम –मसूदपुर पोस्ट मैनपुर तहसील जलालपुर,
जनपद अम्बेडकरनगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बसंती पुत्री शंकर प्रसाद है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0–3127 8688 7668 में मेरा नाम उर्मिला वर्मा हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बसंती पुत्री शंकर प्रसाद, पत्नी सुबोध वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बसंती पुत्री शंकर प्रसाद,
पत्नी सुबोध वर्मा,
निवासिनी–भागीरथ पुरवा, सिरौली कला,
बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता श्रीवास्तव (HARSHITA SRIVASTAVA) पुत्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6044 4479 9366 में उसका नाम मिठी श्रीवास्तव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता श्रीवास्तव पुत्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव (HARSHITA SRIVASTAVA D/o MR SAURABH KUMAR SRIVASTAVA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सौरभ कुमार श्रीवास्तव,
पता–ग्राम दीपनगर कालोनी पाण्डेयपुर,
भरूहना, पोस्ट व तहसील सदर, मीरजापुर।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Parth Kumar Patel Son of Dharmendra Kumar as mentioned in his Birth Certificate and Educational Records Due to a mistake, my son's name has been mentioned as Ansh Kumar Patel in his Aadhar Card No. 8509 9060 1587 which is a wrong name. In future, my son should be known and recognized by his correct name Parth Kumar Patel Son of Dharmendra Kumar. It is hereby certified that all the legal formality in connection with the above have been completed by me.

Dharmendra Kumar,
Son of Hori Lal,
Resident of Mauja Madauli,
Post-Bhullanpur (PAC), Police Station,
Manduadih, District Varansi, (U.P.).

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my daughter is Garima Singh daughter of Shri Rajan Singh which is mentioned in her Educational Record. Due to some mistake my daughter's name has been mentioned as Kali Singh in her Aadhar Card No. 5308 4201 1274 which is wrong. In future, my daughter should be known and recognized by her correct name Garima Singh daughter of Shri Rajan Singh.

Savita Singh,
W/o Rajan Singh,
R/o-Kohane Jaunpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अर्चना एसोसिएट्स, कजाकपुर न्यू कॉलोनी, तारामण्डल रोड, गोरखपुर, उ0प्र0 की साझेदारी में रामराज मिश्रा एवं प्रवीन कुमार शुक्ला दो साझेदार थे। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 17 जुलाई 2025 के अनुसार श्री शैलेश मिश्रा पुत्र स्व0 अवध नारायण मिश्रा, बी–902, स्टेर्लिंग अपार्टमेंट 9–ए, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ नये साझेदार के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। संसोधित साझेदारी डीड दिनांक 17 जुलाई 2025 के अनुसार फर्म में–रामराज मिश्रा प्रवीन कुमार शुक्ला एवं शैलेश मिश्रा तीन साझेदार वर्तमान फर्म में कार्यरत हैं। किसी का कोई लेन देन बकाया नही है। जिसकी सभी को सम्पूर्ण जानकारी है।

रामराज मिश्रा,
साझेदार,
मेसर्स अर्चना एसोसिएट्स,
कजाकपुर न्यू कॉलोनी, तारामण्डल रोड,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही पुत्री अरविंद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9458 3385 4044 में उसका नाम संगम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही पुत्री अरविंद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरविंद पुत्र रमा शंकर शुक्ला,
निवासी– हाउस नं0 शांन्ति नगर,
पुरा, उत्तरीपुरा बिल्हौर कानपुर नगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० श्री लाडली जी एन्टरप्राईजेज, 1447/4040 राधाकुन्ज, भरतपुर गेट, मथुरा–281001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह कि दिनांक–21 मार्च, 2024 को फर्म के तृतीय साझेदार श्री कौशल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी–म०नं०–10 अग्रसेन नगर, मथुरा तथा चतुर्थ साझेदार श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री अशोक कुमार अग्रवाल निवासी–1447/4040 राधा कुंज, भरतपुर गेट, मथुरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये है। उक्त दिनांक–21 मार्च, 2024 को ही श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी–1845 गली रामपाल मण्डी रामदास, मथुरा, श्री मेघश्याम वार्ष्णेय पुत्र श्री हरीशचन्द्र वार्ष्णेय निवासी–238 गोपीनाथ बाजार, वृन्दावन, मथुरा, श्री अमन अग्रवाल पुत्र श्री सुदीप कुमार अग्रवाल निवासी–82 श्री जमुना धाम, गोवर्धन रोड, मथुरा तथा श्री संजय जिन्दल पुत्र श्री हरगोविन्द जिन्दल निवासी–1785/5 एल पी नागर रोड डेम्पीयर नगर मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को श्री राहुल अग्रवाल एचयूएफ पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी उपरोक्त तथा श्री तेजप्रकाश मित्तल पुत्र श्री मुरारी लाल मित्तल निवासी–5/70 श्री राधापुरम् एस्टेट, मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री अंश कपिला, श्री राहुल कुमार अग्रवाल, श्री मेघश्याम वार्ष्णेय, श्री अमन अग्रवाल, श्री संजय जिन्दल, श्री राहुल अग्रवाल एच०यू०एफ०तथा श्री तेजप्रकाश मित्तल साझेदार है।

अशोक कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
मे० श्री लाडली जी एन्टरप्राईजेज,
1447/4040 राधाकुन्ज, भरतपुर गेट, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 भारत कन्स्ट्रक्शन, गंगा गली, सोरों जिला–कासगंज में परिवर्तन की सूचाना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 03 अगस्त, 2025 को श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री मदन मोहन दुबे निवासी– बाहर दहलान सोरों जिला कासगंज की मृत्यु होने के कारण

उनकी साझेदारी समाप्त की गई। अब फर्म में योगेश बाबू अग्रवाल, श्री मदन मोहन दुबे तथा श्री रवीन्द्र सिंह साझेदार है।

योगेश बाबू अग्रवाल,
साझेदार,
मे0 भारत कन्स्ट्रक्शन, गंगा गली,
सोरों जिला–कासगंज।

सूचना

फर्म मेसर्स आई0 के0 इण्टरनेशनल, 15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर में दिनांक 31 मार्च, 2025 को श्रीमती खुर्शीद इस्लाम पत्नी स्व० इस्लाम अहमद शमसी नि0 15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर रिटायर्ड हो गयी है तथा श्री अयान इस्लाम पुत्र श्री साकिब इस्लाम नि0–15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर भागीदार के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से श्री साकिब इस्लाम, श्री फहेद इस्लाम एवं श्री अयान इस्लाम पार्टनर है।

साकिब इस्लाम,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स आई0के0 इण्टरनेशनल,
15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स,
कानपुर नगर।

सूचना

फर्म मेसर्स एसीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर, फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर की भागीदारी डीड दिनांकित 17 अगस्त, 2022 में श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल पुत्र स्व० बृन्दावन पोरवाल एवं.. श्रीमती प्रभा पोरवाल पत्नी श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल निवासीगण फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर पार्टनर थे। दिनांक 03 जनवरी, 2024 को श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० रूपचन्द्र अग्रवाल एवं श्रीमती दीपा अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासीगण 15/6–ए, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये थे। दिनांक 01 मई, 2024 को श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती दीपा अग्रवाल रिटायर्ड हो गये थे तथा दिनांक 01 मई, 2024 को श्री देव पोरवाल पुत्र श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल नि० फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 01 मई, 2024 से श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल पुत्र स्व० बृन्दावन पोरवाल नि० फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर एवं श्रीमती प्रभा पोरवाल पत्नी श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल नि० फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर एवं श्री देव पोरवाल पुत्र श्री अखिलेश चन्द्र पोरवाल नि० फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट, 7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर पार्टनर है।

अखिलेश चन्द्र पोरवाल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स एसीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर,
फ्लैट नं० 9 आधार शिला अपार्टमेन्ट,
7/37 तिलक नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० बाके बिहारी रिसोर्ट, ए 4 गिर्राज वाटिका रमन रेती रोड वृन्दावन मथुरा फर्म में साझेदार श्रीनिधि अयगंर पुत्र श्री धुरीस्वामी अयंगर, श्री अंशुल सारस्वत पुत्र श्री विष्णु कुमार सारस्वत, जुगल किशोर पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद, आशु अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, रेखा सारस्वत पत्नी श्री राम कुमार सारस्वत, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को संचालन की थी दिनांक 29 मार्च, 2025 से बीना गोयल पत्नी श्री विपिन कुमार गोयल, प्रियंका अग्रवाल पत्नी श्री रजत गोयल, कोमल अग्रवाल पत्नी श्री गोरव गोयल, विपिन कुमार गोयल पुत्र श्री बद्री विशाल गोयल, कुलदीप बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, विशाल अग्रवाल पुत्र ब्रज मोहन अग्रवाल, श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल, नये साझेदार सम्मिलित हो गये है। दिनांक 29 मार्च, 2025 से श्रीनिधि अयगंर, श्री अंशुल सारस्वत, जुगल किशोर, आशु अग्रवाल, रेखा सारस्वत अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म को बीना गोयल, प्रियंका अग्रवाल,

कोमल अग्रवाल, विपिन कुमार गोयल, कुलदीप बंसल, विशाल अग्रवाल, श्याम सुन्दर अग्रवाल संचालित करेगे।

बीना गोयल,
साझेदार,
मे० बाके बिहारी रिसोर्ट, ए 4 गिर्राज वाटिका,
रमन रेती रोड, वृन्दावन मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री बाके बिहारी इन्फ्राटेक, ए 4 गिर्राज वाटिका रमन रेती रोड वृन्दावन मथुरा सभी साझेदारों श्रीनिधि अयंगर पुत्र श्री धुरी स्वामी अयंगर, श्री प्रमोद चन्द गुप्ता पुत्र श्री नत्थूलाल गुप्ता, श्री अंशुल सारस्वत पुत्र श्री विष्णु कुमार सारस्वत ने अपनी फर्म दिनांक 01 मई, 2024 को संचालन की थी दिनांक 21 अप्रैल, 2025 से रजिन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री अशोक गुप्ता पुत्र सुन्दर लाल गुप्ता, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बाके लाल अग्रवाल, जुगल किशोर पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद आशु अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चन्द अग्रवाल नये साझेदार सम्मिलित हो गये है। अब फर्म को श्रीनिधि अयंगर, श्री प्रमोद चन्द गुप्ता, श्री अंशुल सारस्वत, रजिन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री अशोक गुप्ता, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, जुगल किशोर, आशु अग्रवाल संचालित करेगे।

श्रीनिधि अयंगर,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स तुरहा इन्टरप्राईजेज, ग्राम व पो० सीगन खेड़ा, तहसील सदर, जिला– रामपुर (यू०पी०) जिसकी पंजीकरण सं० आर०ए०एम०/0002542 है। फर्म के पंजीकरण के समय फर्म में चार पार्टनर श्री मुरारी लाल, मसूद शाह खान, ओम प्रकाश एवं दानिश अहमद थे। पार्टनर मसूद शाह खान की दिनांक 20 जुलाई, 2024 को मृत्यु हो गयी है, जिनके स्थान पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को मोईन खान पुत्र श्री मसूद शाह शामिल हो गये हैं। पार्टनर श्री ओम प्रकाश, दानिश अहमद एवं मोईन खान ने दिनांक 02 जुलाई, 2025 को रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। फर्म में दिनांक 02 जुलाई, 2025 को श्री अजय कुमार एवं श्रीमती रामवती सम्मिलित हो गयी हैं। इस प्रकार फर्म में तीन पार्टनर मुरारी लाल, अजय कुमार एवं श्रीमती रामवती हैं। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनरों की फर्म पर कोई लेनदारी देनदारी नहीं है।

मुरारी लाल,
पार्टनर,
मेसर्स तुरहा इन्टरप्राईजेज,
ग्राम व पो० सीगन खेड़ा, तहसील सदर,
जिला– रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''हुसैन राइस मिल'', पताः– विलेज कागा नगला, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 08 सितम्बर, 2025 को मुन्ने अहमद पुत्र बड्डू व जमील पुत्र शफी अहमद रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर अब्दुल अलीम, अब्दुल नईम, मौ० इमरान, इरफान अली रह गये हैं।

अब्दुल अलीम,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''हुसैन राइस मिल'',
पताः– विलेज कागा नगला, तहसील मिलक,
जिला रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स जी०बी० स्पोटर्स, सी-11-12, उद्योग पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ-250103 की संशोधित साझीदारीनामा में श्री राजीव कतूला, श्री हितेश कतूला एवं श्री ब्रिजेश कतूला साझीदार थे। दिनांक 30 अगस्त, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार मुस्कान कतूला साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा श्री हितेश कतूला एवं श्री ब्रिजेश कतूला अपना–अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हो गये है।

दिनांक 30 अगस्त, 2025 की साझीदारीनामा के अनुसार श्री राजीव कतूला एवं मुस्कान कतूला साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव कतूला,
साझीदार,
मेसर्स जी०बी० स्पोटर्स, सी-11-12,
उद्योग पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मित्रसैन जुगमदर दास 227 बी० नवीन मंडी स्थल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पिन कोड-251002 जिसकी पंजीकरण संख्या 1546-एस0 दिनांक 19 जनवरी, 2015 को हुआ था। पंजीकरण के समय फर्म में रमेश चंद जैन, मनीष कुमार जैन पार्टनर थें। दिनांक 01. अप्रैल 2024 को श्रीमती दीप्ती जैन स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हुई है। अब फर्म में रमेश चन्द जैन, मनीष कुमार जैन व दीप्ती जैन पार्टनर है। फर्म में कोई विवाद नही है।

रमेश चन्द जैन,
पार्टनर,
मेसर्स मित्रसैन जुगमदर दास,
227 बी० नवीन मंडी स्थल मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–गणेशदास रामगोपाल, हलवासिया कोर्ट हजरतगंज जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें 05 साझेदार श्री उमा शंकर हलवासिया पुत्र स्व0 देवी प्रसाद हलवासिया, श्री मुकुन्द हलवासिया पुत्र श्री उमा शंकर हलवासिया, श्रीमती बीना हलवासिया पत्नी श्री उमा शंकर हलवासिया साझेदार सम्बद्ध सिलानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विनय सिंह एवं जी0डी0आर0जी0 एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा साझेदार थे, जिसमें से दिनांक 13 अगस्त, 2025 से एक नये सम्बन्ध एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिंह शामिल हो रहे है तथा इसी दिनांक 13 अगस्त, 2025 से 01 साझेदार क्रमशः श्रीमती बीना हलवासिया पत्नी श्री उमा शंकर हलवासिया फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से निकल गयी है। वर्तमान में श्री उमा शंकर हलवासिया, श्री मुकुन्द हलवासिया, जी0डी0आर0जी0 स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा, सम्बद्ध सिलानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विनय सिंह एवं सम्बन्ध एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिह साझेदार है।

उमा शंकर हलवासिया,
गणेशदास राम गोपाल,
साझेदार,
जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे० शम्भूनाथ होटल एण्ड बैन्क्वेट्स 07 एफ/06ए हेस्टिंग रोड, (न्याय मार्ग) प्रयागराज की भागीदार करूणा तिवारी दिनांक 27 जून, 2025 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गई है तथा अमितेश तिवारी दिनांक 27 जून, 2025 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हो गये है । अब फर्म में श्रीमती कामना तिवारी, अमितेश तिवारी कुल दो भागीदार है जिनका भागीदारी का अनुपात क्रमशः श्रीमती कामना तिवारी, 50 प्रतिशत, अमितेश तिवारी 50 प्रतिशत का होगा। फर्म से अलग हुई भागीदार श्रीमती करूणा तिवारी का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन तथा दायित्व शेष नही है। दिनांक 27 जून, 2025 के पश्चात करुणा तिवारी का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का वित्तीय तथा विधिक उत्तरदायित्व नही होगा।

श्रीमती कामना तिवारी,
भागीदार,
मे० शम्भूनाथ होटल एण्ड बैन्क्वेट्स,
07 एफ/06ए हेस्टिंग रोड, (न्याय मार्ग)
प्रयागराज।

NOTICE

I, Rohit Kumar Khare, father of Chittansh Khare, Address 65, MIG Rajkiya Colony, Sector E, Aliganj, Lucknow, state that my son's name is changed to Kartikeya Khare due to health reasons and astrologer's advice. He shall henceforth be known as Kartikeya Khare.

Rohit Kumar Khare,
65, MIG Rajkiya Colony,
Sector E, Aliganj, Lucknow.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अवनीश कुमार (AVANISH KUMAR) पुत्र कुमार गौरव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6673 6396 6196 में उसका नाम अवनीश कुमार (AVNISH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अवनीश कुमार (AVANISH KUMAR) पुत्र कुमार गौरव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमार गौरव,
पुत्र स्व0 रामकरन,
निवासी–पैगम्बरपुर नयापुरा हेतापट्टी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अल्फा वन सिक्योरिटी सर्विसेज (ALPHA ONE SECURITY SERVICES) पता शॉप नं. 10 दीप प्लाजा, विकास नगर, लखनऊ है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें 3 (तीन) पार्टनर श्री मानेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती शिल्पी सिंह एवं श्री अनुराग सिंह हैं। दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को नई साझेदारी बनी जिसमें फर्म का पता परिवर्तित होकर हाउस नं 660/7/पी–14, 15 डी (के–69/1), गौरा बाग, शंकर पुरवा फर्स्ट, पो0–गुरम्बा, जिला लखनऊ 226026 हो गया है। वर्तमान उक्त फर्म में वही 3 साझेदार श्री मानेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती शिल्पी सिंह एवं श्री अनुराग सिंह हैं जो कि पूर्व में थे जिसमें पार्टनर्स में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मानेन्द्र प्रताप सिंह,
साझेदार,
मेसर्स अल्फा वन सिक्योरिटी सर्विसेज,
नया पता– हाउस नं 660/7/पी–14,
15 डी (के–69/1), गौरा बाग,
शंकर पुरवा फर्स्ट, पो0–गुरम्बा, जिला लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।